

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

विश्वेश्वर कुमार बनाम नरेशीराम

किस्म मुकदमा दावा (53,188) मु.नं. 154 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
25 ⁰⁸ / ₂₅	<p>वकील वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक से तलब कर पत्रावली नियत तिथि 18.09.2025 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर</p>
18 ⁰⁹ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप- पत्रावली वास्टे तलबी डि० 29 ¹⁰/₂₅ को पेश हो।</p>
29 ¹⁰ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप- पत्रावली वास्टे तलबी डि० 14 ¹¹/₂₅ को पेश हो।</p>
14 ¹¹ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी स्वयं अनु-। वकील वादी व वादी स्वयं दो बाद-बाद आवाम लगावई गई। उक्त डे वावमूर न्यायालय समय में सामकाल तड भी वकील वादी व वादी स्वयं में ल गई थी उपस्थित नहीं होने पड पत्रावली इसी एन्ड पड अदम पैडनी। अदम हाजिरी में खारिज किं जात है आडेशा दिव जात है। पत्रावली फैसल शुमाड होऊड तकमील दाखिल रफ्तार हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर</p>

